

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 5739

दिनांक - 07.07.25

प्रार्थीगण
1 कसुम्बी पत्नी बालाराम जाति
जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी
तहसील बाड़मेर व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण


1 ठाकराराम 2.तेजाराम पिसरान लालाराम 3.दुर्गाराम 4.
देराजाराम पिसरान मेरामा 5.धर्माराम पुत्र कानाराम 6.
वगताराम पुत्र मेरामा 7.वीरमाराम पुत्र लालाराम 8.सजनी
पत्नी लालाराम 9.हथु पत्नी मेरामा 10.अनु देवी पुत्री किरता
11.उमाराम पुत्र किरता 12.जेठाराम पुत्र किरता 13.घाई देवी
पुत्री किरता 14.राजो देवी पत्नी किरता 15.चेना पुत्र
मासींगा 16.हुकमा पुत्र मासींगा 17.चनणी देवी पत्नी
मूलाराम जातियान जाट निवासीयान जाखड़ों की ढाणी,
तहसील व जिला बाड़मेर 18.तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 644/2024

दिनांक- 04.07.2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जाखड़ों की ढाणी पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1041/353 रकबा 1.6997 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 5740-43

दिनांक- 07.07.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर को भेजकर लेख है कि न्यायालय के स्थगन आदेश की जांच करें यदि स्थगन हो तो नेखबन्दी की कार्यवाही नहीं की जावे, बाद स्थगन के निस्तारण नेखबन्दी की कार्यवाही कर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी, तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण कसुम्बी पत्नी बालाराम जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर व जिला बाड़मेर ।
4. विप्रार्थीगण ठाकराराम पुत्र लालाराम वगैरा जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर व जिला बाड़मेर ।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

